उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 81वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 29.03.2023

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522.4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई 81वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त —अध्यक्ष
2. श्री नरेन्द्र भूषण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सदस्य सचिव
3. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा —सहायक सदस्य/सचिव
4. श्री सम्पूर्णानन्द द्विवेदी, अपर निदेशक, कोषागार लखनऊ, मण्डल —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग)
5. श्री जी0एस0 वर्मा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग)
6. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास बन्धु —सदस्य
   (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)
7. श्री संदीप चन्द्रा, प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 —सदस्य
   (प्रतिनिधि मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0)

विशेष आमंत्रीः-

1. सुश्री निधि श्रीवास्तव, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन।
2. श्री एस0सी0 राय, एडवाईजर, आवास बन्धु।
3. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
4. श्री आर0आर0 सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
7. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
8. कर्नल संजय सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक (डिफेन्स कॉरिडोर), यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
12. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 81वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गईः–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.02.2023 को सम्पन्न हुई 80वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 80वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.02.2023 को सम्पन्न 80वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.02.2023 को सम्पन्न हुई 80वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– **शासन द्वारा यूपीडा के निदेशक मण्डल के पुर्नगठन के आदेश से अवगत कराने के सम्बन्ध में।**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–442 / 77–3–23–94 भा0 / 07टी.सी. दिनांक 27 मार्च, 2023 मों उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–6, सन् 1976) की धारा–3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या–2484 / 77–3–11–94भा0–07टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (यूपीडा) नामक प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसके द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का प्रभार सौपा गया है। उक्त के अतिरिक्त यूपीडा के तत्कालीन अध्यक्ष (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) को सदस्य सचिव एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सहायक सदस्य सचिव नामित किया गया है, पर सभी सदस्यो को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णयः– उपरोक्त शासन द्वारा यूपीडा के निदेशक मण्डल के पुर्नगठन की अधिसूचना का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया एवं नई संरचना को स्वीकार किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–04:– **"पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2023–24 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 2747 / 77–3–2017–37 एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" पर टोल की दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त नियमावली के प्रविधानों के अंतर्गत टोल की निर्धारित दरों को प्रत्येक वर्ष डब्लूय0पी0आई0 के आधार पर संशोधन कर 01 अप्रैल, से संशोधित किया जाता है। "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे" हेतु वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित टोल दरों के अनुसार एक्सप्रेसवे हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा टोल टैक्स एकत्रित किया जा रहा है।

(2) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–4 द्वारा वर्ष 2017–18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर ''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017'' के प्राविधानों के अन्तर्गत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1596/77–3–18–37एम–12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है।

(3) निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप वर्ष 2023–24 हेतु 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर संशोधित टोल दरों का आंकलन परियोजना परामर्शी मेसर्स इण्डियन टेक्नोक्रेट लिमिटेड से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार टोल दर (रूपये में):–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2023–24 के लिये दिसम्बर 2022 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.45	2.50
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.90	4.00
3	बस या ट्रक	7.85	8.05
4	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	12.05	12.35
5	विषाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	15.36	15.75

(ख) निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2023–24 के लिये दिसम्बर, 2022 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:–

		फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)				
क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
		वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24
1	10–15	6.85	10.25	20.50	30.05	40.95
2	रू0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक	1.35	2.05	4.10	6.15	8.20
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	1.00	1.60	3.05	4.65	6.15
4	रू0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.70	1.00	2.05	3.05	4.10

(ग) ''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोध नियमावली, 2017'' के प्राविधानों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुस 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2023--24 हेतु (प्रति फेरा) आंगणित की ग संशोधित टोल दरें एवं वर्ष 2022–23 की दरों से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रू में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू 5/– की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	प्रतिशत वृद्धि
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	675	685	1.5%
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1065	1090	2.3%
3	बस या ट्रक	2145	2195	2.3%
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	3285	3365	2.5%
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	4185	4305	2.9%

(4) उपरोक्त के आधार पर 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2023–24 हेतु आधार टोल दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण यूपीडा बोर्ड के विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। परियोजना परामर्शी द्वारा इस सम्बंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण निदेशक मण्डल के समक्ष किया गया।

(5) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजास एवं टोल कलेक्शन हेतु चयनित एजेंसी के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्तो के अनुसार चयनित एजेंसी द्वारा देय धनराशि में एक वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्राधिकरण को भुगतान किया जायेंगा साथ ही संशोंधित टोल रेट के अनुसार विभिन्न वाहनों की श्रेणी में हुई वेटेड वृद्धि के अनुसार भी भुगतान में वृद्धि की जायेगी।

<u>कार्यवाही / निर्णय :</u> **'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल दरों पर विस्तृत विचार–विमर्शोंपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–**

1. **वर्ष 2023–24 हेतु 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' के लिये आंगणित टोल दरों पर पूर्व की भाँति 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।**
2. **वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'पूर्वांचल एक्सप्रेसवे' के विभिन्न टोल प्लाजा/टोल बूथ हेतु विभिन्न वाहनों के लिये, आंकलित टोल दरों (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

<u>एजेण्डा बिन्दु–05:–</u> <u>''बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे'' पर वर्ष 2023–24 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।</u>

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 2747/77–3–2017–37 एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा ''उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017'' जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार ''बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे''पर वर्ष 2022–23 हेतु टोल की दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त निर्धारित टोल दरों को ''बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे'' के टोल एजेन्सी के चयन हेतु प्रकाशित बिड डाक्यूमेंट में इंगित किया गया था।

(2) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–4 द्वारा वर्ष 2017–18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1596/77–3–18–37एम–12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं हेतु संशोधित टोल दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है। "बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे" के टोल एजेन्सी के चयन हेतु प्रकाशित बिड डाक्यूमेंट के क्रम में उपरोक्तानुसार 2023–24 हेतु संशोधित टोल दरों को इंगित किया जाना है।

(3) उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप वर्ष 2023–24 हेतु 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर संशोधित टोल दरों का आंकलन परियोजना परामर्शी मेसर्स इण्डियन टेक्नोक्रेट लिमिटेड से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार टोल दर (रूपये में):–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2022–23 के लिये दिसम्बर 2021 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 437.68) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)	वर्ष 2023–24 के लिये दिसम्बर 2022 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.45	2.50
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	3.90	4.00
3	बस या ट्रक	7.85	8.05
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	12.05	12.35
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	15.36	15.75

(ख) निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयो करने पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2023–24 के लि दिसम्बर, 2022 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) के आधार पर फीस की दर निम्नव होगी:–

		फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)				
क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
		वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24
1	10–15	6.85	10.25	20.50	30.05	40.95
2	रू0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक	1.35	2.05	4.10	6.15	8.20
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	1.00	1.60	3.05	4.65	6.15
4	रू0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.70	1.00	2.05	3.05	4.10

(ग) "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये वर्ष 2023–24 हेतु (प्रति फेरा) आंगणित की गई संशोधित टोल दरें एवं वर्ष 2022–23 की दरों से तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये प्रति फेरा टोल दरें (रूपये में) 25 प्रतिशत की छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू0 5/– की राउण्डिंग सहित)		
		वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	प्रतिशत वृद्धि
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	610	620	1.6%
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	965	990	2.6%
3	बस या ट्रक	1935	1985	2.6%
4	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	2965	3040	2.5%
5	विषाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	3795	3895	2.6%

(4) उपरोक्त के आधार पर 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2023–24 हेतु आधार टोल दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण यूपीडा बोर्ड के विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। परियोजना परामर्शी द्वारा इस सम्बंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण निदेशक मण्डल के समक्ष किया गया।

<u>कार्यवाही/निर्णय</u> ' **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल दरों पर विस्तृत विचार–विमर्शोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:–**

1. **वर्ष 2023–24 हेतु 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के लिये आंगणित टोल दरों पर पूर्व की भाँति 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।**
2. **वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे' के विभिन्न टोल प्लाजा/टोल बूथ हेतु विभिन्न वाहनों के लिये, आंकलित टोल दरों (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

<u>एजेण्डा बिन्दु–06:–</u> <u>"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" पर वर्ष 2023–24 हेतु टोल दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।</u>

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 2747/77–3–2017–37 एनएम–12 दिनांक 15.12.2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" जारी की गई थी, जिसके प्राविधानों के अनुसार **"आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे"** पर टोल की दरों का निर्धारण किया गया था। उक्त नियमावली के प्रविधानों के अंतर्गत टोल की निर्धारित दरों को प्रत्येक वर्ष डब्लूय0पी0आई0 के आधार पर संशोधन कर 01 अप्रैल, से संशोधित किया जाता है। "आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे" हेतु वर्ष 2022–23 के लिए निर्धारित टोल दरों के अनुसार एक्सप्रेसवे हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा टोल टैक्स एकत्रित किया जा रहा है।

(2) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त नियमावली के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–02/2018/235/77–3–2018–37 एनएम–12 दिनांक 15.01.2018 के प्रस्तर–4 द्वारा वर्ष 2017–18 की टोल दरों (दिसम्बर 2016 की डब्ल्यू0पी0आई0 343.32 पर आधारित) पर "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अर्न्तगत, प्रत्येक वर्ष, 01 अप्रैल से वार्षिक वृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु यूपीडा के निदेशक मण्डल को अधिकृत किया गया था। तदोपरान्त औद्योगिक विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या– 1596/77–3–18–37एम–12टी0सी0 दिनांक 14.05.2018 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये आगणित टोल दरों पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में टोल नियमावली के प्राविधानों के अनुसार टोल की दरों में प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से संशोधित टोल दरों को निर्धारित करते हुये प्राधिकरण के निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त कर संशोधित दरों (25 प्रतिशत छूट सहित) को लागू किया जाता रहा है।

(3) निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2017 के प्राविधानों के अनुरूप वर्ष 2023–24 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर संशोधित टोल दरों का आंकलन परामर्शी से कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

(क) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार टोल दर (रूपये में):–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	वर्ष 2023–24 के लिये दिसम्बर 2022 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) पर आधारित फीस की प्रति कि0मी0 आधार पर टोल दर (रूपये में)
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	2.50
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	4.00
3	बस या ट्रक	8.05
4	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	12.35
5	विषाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	15.75

(ख) निर्मित स्थाई सेतु, इण्टरचेंज फ्लाईओवर, रेल उपरिसेतु/रेल अधोसेतु, बाईपास या सुरंग का प्रयोग कर पर यदि उक्त निर्मित ढांचों की पूर्ण लागत दस करोड़ से अधिक है, तो वर्ष 2023–24 के लिये दिसम्बर, 202 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू0पी0आई0 462.27) के आधार पर फीस की दर निम्नवत् होगी:–

क्रम सं0	स्थायी सेतु या सुरंग की लागत (करोड़ रू0 में)	फीस की आधार दर रू0 में (प्रति वाहन प्रति फेरा)				
		कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	बस या ट्रक	भारी निर्माण कार्य मषीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0आई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)
		वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24	वर्ष 2023–24
1	10–15	6.85	10.25	20.50	30.05	40.95
2	रू0 15 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 100 करोड़ तक	1.35	2.05	4.10	6.15	8.20
3	रू0 100 करोड़ के बाद प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर रू0 200 करोड़ तक	1.00	1.60	3.05	4.65	6.15
4	रू0 200 करोड़ ऊपर प्रत्येक 5 करोड़ या उसके भाग पर	0.70	1.00	2.05	3.05	4.10

(ग) "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (चतुर्थ संशोध नियमावली, 2017" के प्राविधानों के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर आगरा से लखनऊ तक यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिये व 2023–24 हेतु (प्रति फेरा) आंगणित की गई संशोधित टोल दरें एवं वर्ष 2022–23 की दरों से तुलनात्म विवरण निम्नवत् है:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले विभिन्न वाहनों के लिए प्रति फेरा टोल दरें (रू में) 25 प्रतिशत छूट के साथ (नियमावली के अनुसार रू 5/– की राउडिंग सहित)		
		वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	प्रतिशत वृद्धि
1	कार, जीप , वैन या हल्का मोटर वाहन	650	655	0.8
2	हल्के व्यवसायिक यान, हल्के माल यान या मिनी बस	1020	1035	1.4
3	बस या ट्रक	2060	2075	0.7
4	भारी निर्माण कार्य मशीन (एच0सी0एम0) भू–गतिमान उपस्कर (ई0एम0ई0) या बहुधुरीय यान (एम0ए0वी0) (3 से 6 धुरीय)	3160	3170	0.3
5	विशाल आकार यान (ओवरसाइज्ड वेहिकल) (7 या अधिक धुरीय)	4065	4070	0.1

(4) उपरोक्त के आधार पर 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर विभिन्न वाहनों हेतु विभिन्न टोल प्लाजास/टोल बूथ के बीच वर्ष 2023–24 हेतु आधार टोल दरों के अनुसार लागू टोल दरों की धनराशि का विवरण यूपीडा बोर्ड के विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। परियोजना परामर्शी द्वारा इस सम्बंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण निदेशक मण्डल के समक्ष किया गया।

(5) निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजास एवं टोल कलेक्शन हेतु चयनित एजेंसी के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चयनित एजेंसी द्वारा देय धनराशि में एक वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्राधिकरण को भुगतान किया जायेगा साथ ही संशोधित टोल रेट के अनुसार विभिन्न वाहनों की श्रेणी में हुई वेटेड वृद्धि के अनुसार भी भुगतान में वृद्धि की जायेगी।

<u>कार्यवाही/निर्णय'</u>

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल दरों पर विस्तृत विचार–विमर्शोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

1. **वर्ष 2023–24 हेतु 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के लिये आंगणित टोल दरों पर पूर्व की भाँति 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।**
2. **वर्ष 2023–24 के लिये उपरोक्तानुसार आंगणित टोल की संशोधित आधार दरों के अनुसार 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' के विभिन्न टोल प्लाजा/टोल बूथ हेतु विभिन्न वाहनों के लिये, आंकलित टोल दरों (25% की छूट सहित) पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**

<u>एजेण्डा बिन्दु–07:–</u>

<u>मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को यथावश्यक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्वाहन हेतु आवंटित किये जाने विषयक।</u>

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों को यथावश्यक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्वाहन हेतु आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई।

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>

बोर्ड ने यह नोट किया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मध्य कार्य विभाजन करने का अधिकार बोर्ड को है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जो वर्तमान व्यवस्था मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मध्य कार्य बटवारे का है वह लागू रहेगा। एजेन्डा बिन्दु संख्या–7 पर प्रस्तुत मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के मध्य कार्य बटवारे के प्रस्ताव को निदेशक मण्डल ने अनुमोदन नहीं दिया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–08:–</u>

<u>उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' के लखनऊ, कानपुर तथा अलीगढ़ नोड में अतिरिक्त भूमि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही/निर्णय</u>

निदेशक मण्डल द्वारा उ0प्र0 डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना' के लखनऊ, कानपुर तथा अलीगढ़ नोड में अतिरिक्त भूमि प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–09:–</u>

<u>'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर ए0टी0एम0एस की सप्लाई एवं इन्स्टॉलेशन हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये डी.पी.आर. एवं निविदा प्रपत्र तैयार किये जाने के लिए परामर्शी के चयन हेतु टर्म्स ऑफ रिफरेंस व स्कोप ऑफ वर्क तथा आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर अनुमोदन के संबंध में।</u>

निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर पूर्व में मे0 वान इन्फ्रा प्राईवेट लि0 द्वारा ए0टी0एम0एस की स्थापना की गयी थी जिसके लिये यूपीडा के साथ दिनांक 20.06.2018 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया था। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उक्त ए.टी.एम.एस. का रख–रखाव पांच वर्ष की अवधि के लिये मे0 वान इन्फ्रा प्राईवेट लि0 द्वारा किया जाना था जो कि दिनांक 15.12.2024 को समाप्त हो रहा है।

(2) निदेशक मण्डल को अग्रेतर अवगत कराया गया कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नये सिरे से एवं आधुनिक तकनीकी स्पेसीफीकेशन् के ए.टी.एम.एस. की स्थापना के लिए डी.पी.आर. एवं निविदा प्रपत्र तैयार किये जाने हेतु परामर्शी का चयन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परामर्शी के चयन हेतु टर्म्स ऑफ रिफरेंस, स्कोप ऑफ वर्क तथा बिड डाक्यूमेंट तैयार किया गया है जिसे निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>कार्यवाही / निर्णयः–'</u> **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ए0टी0एम0एस सुविधा की डिजाइन इन्स्टॉलेशन, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कॉन्ट्रैक्टर चयनित किये जाने के लिये आवश्यक डी.पी.आर. व निविदा प्रपत्र तैयार किये जाने हेतु परामर्शी के चयन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत टर्म्स ऑफ रिफरेंस, स्कोप ऑफ वर्क तथा आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख पर यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा विस्तृत विचार–विमर्शोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया। निदेशक मण्डल द्वारा उक्त आर0एफ0क्यू0–कम–आर0एफ0पी0 अभिलेख को ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रकाशित कर ऑन–लाइन बिड प्रकिया के माध्यम से परामर्शी के चयन की कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया।**

<u>एजेण्डा बिन्दु–10:–</u> **<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में अतिरिक्त कार्यो की आवश्यकता के दृष्टिगत अथॉरिटी द्वारा जारी किये गये चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) आर्डर के सम्बन्ध में।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज–04 से सम्बन्धित दो कार्यो के चेंज ऑफ स्कोप के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–11:–</u> **<u>बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज 6 के Completion Certificate निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> बैठक में अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पैकेज–06 का कार्य दिनांक 10.02.2023 को पूर्ण होने के पश्चात "कंपलीशन सर्टिफिकेट" निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे के समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे अनुरक्षण के अंतर्गत है।

<u>एजेण्डा बिन्दु–12:–</u> **<u>आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–2 के ठेकेदार, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति से निदेशक मंडल को अवगत कराने के सम्बन्ध में।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–2 के ठेकेदार, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति पर मुख्य महाप्रबन्धक (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित बिन्दु पत्रावली पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

<u>एजेण्डा बिन्दु–13:–</u> **<u>आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–4 के ठेकेदार, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति से निदेशक मंडल को अवगत कराने के सम्बन्ध में।</u>**

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–4 के ठेकेदार, मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति पर मुख्य महाप्रबन्धक (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित बिन्दु पत्रावली पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–5 के ठेकेदार, मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति से निदेशक मंडल को अवगत कराने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–5 के ठेकेदार, मेसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो द्वारा यूपीडा के विरूद्ध प्रचलित आरबिट्रेशन वाद की अद्यतन स्थिति पर मुख्य महाप्रबन्धक (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे) द्वारा अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया। चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण से सम्बन्धित बिन्दु पत्रावली पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2023 को सम्पन्न हुई 81वीं बोर्ड बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 06.04.2023 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य–सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल